न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 59/2010 एल.आर.एक्ट

1. प्रतापसिंह
2. नवलसिंह
3. किशोरसिंह
4. पूनमसिंह

पिसरान पीरदानसिंह जाति राजपूत निवासी बासी सहजवरदान तहसील व जि0 बीकानेर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत खारा ।
2. गुरबक्शसिंह पुत्र श्री हरिरसिंह जाति जटसिख निवासी नरवाना हाल हुसंगसर तहसील व जिला बीकानेर ।
3- राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एन.के. गांधी अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 2

निर्णय

दिनांक 5.11.19

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 20.10.10, जिसके द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील सं0 54/08 मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम बासी सेज बरदारान तहसील बीकानेर के खसरा सं0 52 में 75.07 बीघा भूमि पीरदानसिंह पुत्र श्योजीसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज थी । पीरदानसिंह द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.1.64 के द्वारा रेस्पोन्डेंट सं02 गुरबक्शसिंह को विक्रय करने पर बैयनामा का इन्तकाल सं0 58 दिनांक 15.2.67 सरपंच, ग्राम पंचायत बमलू द्वारा स्वीकृत किया गया । सरपंच, ग्राम पंचायत बमलू द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त बैयनामा इन्तकाल सं0 58 दिनांक 15.2.67 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर में 41 वर्ष पश्चात् प्रथम अपील सं0 54/2008 अनवान प्रतापसिंह वगैरह बनाम ग्राम पंचायत खारा वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.10 द्वारा मियाद बिन्दु पर खारिज कर दी गयी । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.10 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि तहसील बीकानेर के ग्राम बासी सहज बरदारान में खसरा नं0 52 की 75 बीघा 07 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पिता की जागीरदार के समय की थी । यह भूमि अपीलान्ट्स के पिता द्वारा बलदेवाराम ब्राहमण निवासी हरिद्वार को पुण्यार्थ में दी हुई थी । इसलिए उसी का कब्जा काश्त था तथा वही इस भूमि का काश्तकार था। इस

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भूमि पर पीरदानसिंह व मुस्मात आशा कभी भी खातेदार नहीं थे । यह कि विवादित भूमि की खातेदारी लेने हेतु पीरदानसिंह ने उपनिवेशन क्षेत्र में प्रार्थना पत्र पेश किया था, उसको भी उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने निर्णय दिनांक 11.7.84 द्वारा खारिज कर दिया था, इससे साफ जाहिर होता है कि उक्त विवादित भूमि पीरदानसिंह की खातेदारी नहीं थी तो पीरदानसिंह को उक्त भूमि विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। यह कि उक्त भूमि खसरा नं0 52 तादादी 75.07 बीघा भूमि पर मु0 आशा बेवा हरजी मेघवाल का कब्जा था और उन्होंने एक विक्रय पत्र दिनांक 3.9.1964 रेस्पोन्डेंट सं0 2 के पक्ष में लिखा है, जबकि मु0 आशा भी इस दिन उक्त भूमि की खातेदार नहीं थी। इस प्रकार जो विक्रय पत्र पीरदानसिंह व मु. आशा देवी द्वारा लिखा गया है, वह काश्तकारी अधिनियम के विरुध्द है । यह कि ग्राम पंचायत बमलू द्वारा विक्रय पत्र देखे बिना, जमाबन्दी के इन्द्राज को देखे बिना सरसरी तौर पर इन्तकाल तस्दीक कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट्स की अपील केवल मियाद बिन्दु पर खारिज की है, जबकि अपीलान्ट्स द्वारा मियाद बिन्दु पर कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए गुणावगुण पर भी निर्णय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की नजीर पेश की थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर बैयनामा का इन्तकाल सं0 58 दिनांक 15.2.67 एवं उपखण्ड न्यायालय उत्तर, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.10 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि पूर्व में पीरदानसिंह के नाम से थी और उसे ही खातेदारी प्रदान करते हुए खातेदारी का इन्तकाल सं0 43 उसके नाम से दर्ज किया गया है । उक्त इन्तकाल सं0 43 की नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली में मौजूद है । यह कि खातेदार पीरदानसिंह के द्वारा अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 3.9.64 पंजीयन शुदा उप पंजीयक, बीकानेर दिनांक 26.9.64 विद ड्यू कन्सीडरेशन रेस्पोन्डेंट सं02 गुरबक्शसिंह को विक्रय की गयी और उसके द्वारा खातेदार पीरदानसिंह से कब्जा प्राप्त किया गया । कब्जा दिये जाने की स्पष्ट रिसाईटल बैयनामा में अंकित है । उक्त बैयनामा के आधार पर सरपंच, ग्राम पंचायत बमलू द्वारा रेस्पोन्डेंट सं02 के नाम से दिनांक 15.2.67 को बैयनामा का इन्तकाल सं0 58 दिनांक 15.2.67 सही तौर पर दर्ज किया गया है । उक्त इन्तकाल में पीरदानसिंह को खातेदार बताया गया है और विक्रय के बाद में उसकी जगह रेस्पोन्डेंट सं02 का नाम दर्ज तस्दीक किया गया है । यह कि बाद खरीद उक्त क्रयशुदा भूमि पर रेस्पोन्डेंट सं0 2 के नाम तमाम रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी में दर्ज चला आ रहा है । यह कि खातेदार पीरदानसिंह के द्वारा कराये गये बैयनामा के आधार पर जो इंन्तकाल दिनांक 15.2.67 दर्ज व तस्दीक किया गया है, उस इन्तकाल के विरुध्द पीरदानसिंह के वारिसान द्वारा 44 वर्ष पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कह कर अपील की गयी कि उन्हें नोटिस व सूचना दिये बिना ही इन्तकाल दर्ज किया गया । जबकि विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व नोटिस देना आवश्यक नहीं है, क्योकि उसके द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर भूमि विक्रय की जाती है । इस सम्बन्ध में अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 द्वारा रुलिंग 2002 आरआरडी पेज 282, 1997 आरआरडी पेज 536, 1996 आरआरडी पेज 73 अवलोकनीय बताया । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्टान की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन शपथ पत्र केवल प्रतापसिंह का ही प्रस्तुत किया गया है । अन्य व्यक्तियों का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेंट सं02 द्वारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब एवं काउन्टर शपथ प्रस्तुत किया गया है। यह कि भूमि विक्रय करने के बाद किसी भी सूरत में क्रेता का विक्रय की गयी सम्पत्ति में स्वत्व अधिकार नहीं रहता है । यह कि बैयनामा के पश्चात विक्रेता व उसके वारिसान कोई भी कथन करने के लिए एस्टोप्ड हैं । यह कि अपीलकृत इन्तकाल के विरुध्द अपीलान्टान को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपीलान्टान उक्त कृषि भूमि के कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं हैं और नं ही उन्हें कोई नोटिस व सूचना दिये जाने की आवश्यकता ही थी । अपीलान्टान अपीलकृत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इन्तकाल से प्रभावित व पीड़ित पक्षकार नहीं है इस कारण उन्हें अपील पेश करने की कोई लोकस्टण्डाई नहीं है । अतः अपील अपीलान्टान खारिज फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है :–

नामान्तरकरण पंजिका ग्राम बासी सहज बरदारान तहसील बीकानेर के नामान्तरकरण सं0 43 के अनुसार विवादित भूमि ग्राम बासी सहज बरदरान तहसील बीकानेर के खसरा नं0 52 की 75.07 बीघा भूमि अपीलान्टान के पिता पीरदानसिंह पुत्र श्योजीसिंह जाति राजपूत के नाम गैर खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी प्रदान करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.5.63 एवं निरीक्षक हल्का द्वारा दिनांक 10.6.63 को रिपोर्ट करने पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा धारा–15 के तहत खातेदारी देना नामान्तरकरण पंजिका में स्वीकार किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन पीरदानसिंह कभी खातेदार नहीं रहे, कथन स्वीकार योग्य नहीं है । उक्त खातेदार पीरदानसिंह द्वारा उपरोक्त खसरा नं0 52 की 75.07 बीघा भूमि रेस्पोन्डेंट सं02 गुरबक्शसिंह को विक्रय करने पर बैयनामा का इन्तकाल सं0 58 दिनांक 15.2.67 सरपंच, ग्राम पंचायत बमलू तहसील बीकानेर द्वारा स्वीकृत किया गया है । उक्त बैयनामा के नामान्तरकरण 58 दिनांक 15.2.67 के विरुध्द खातेदार पीरदानसिंह के वारिसान अपीलान्ट सं0 1 ता 4 के द्वारा 41 वर्ष पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील सं0 54/2008 अनवान प्रतापसिंह वगैरह बनाम गुरबक्शसिंह प्रस्तुत करने पर रेस्पोन्डेंट सं02 गुरबक्शसिंह द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेंट सं02 द्वारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब एवं काउन्टर शपथ प्रस्तुत किया गया है । अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण सं0 58 दिनांक 15.2.67 के विरुध्द अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में सत्य एवं सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अपीलान्ट की प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की गयी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देरी के सम्बन्ध में पूर्ण विवेचन के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है तथा उपखण्ड न्यायालय (उत्तर) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.10 यथावत रखा जाता है ।

7- तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: